संकल्प

(भारतीय गजट के प्रभाग-I तथा अनुभाग-I में प्रकाश्य)
नं. एफ 19-19/60-H.I.)
भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
नई-दिल्ली-2 दिनांक 21 दिसंबर 1960

<u>संकल्प</u>

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली विभाग के लिए स्थायी आयोग का गठन।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति क्र. 2/8/60- OL दि. 27 अप्रैल 1960, के अंतर्गत प्रकाशित राष्ट्रपतिजी के आदेश के अनुच्छेद 3 के अनुक्रम में भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि वह वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण के लिए एक स्थायी आयोग वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन, तुरंत प्रभाव से करेगी।
आयोग का संगठन तथा दायित्व निम्नानुसार होगाः-
संगठनः
आयोग के संगठन में निम्नानुसार पदाधिकारी होंगेः

1. अध्यक्ष-1
2. सदस्य-6

केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक इस संगठन के गैर सदस्यीय सचिव होंगे।
भारत सरकार अध्यक्ष तथा सदस्यों का मनोनयन करेगी।
अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा तथा उन्हें पुनः मनोनीत किया जा सकेगा।
1.आयोग के दायित्वों में निम्नांकित कार्य सम्मिलित होंगे;

1. राष्ट्रपति महोदय के आदेश के अनुच्छेद 3 मेंनिर्देशित सिद्धांतों के अनुरूप, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में किए गए कार्यो की समीक्षा।
2. वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली को हिंदी तथा अन्य भाषाओं में तैयार करने की प्रक्रिया का समन्वय एवं विकास करने संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण करना।
3. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली विकसित करने में राज्यों के स्तर पर कार्यरत संस्थाओं के कार्य का संयोजन करना। इस कार्य में राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करना तथा हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवादित शब्दावलियों के उपयोग का अनुमोदन प्राप्त करना।
4. आयोग, अनुमोदित शब्दावलियों के आधार पर विज्ञान विषयों के मानक ग्रंथों की रचना का कार्य भी अपने हाथ में ले सकता है। इसी प्रकार वह विज्ञान विषयों के शब्दकोशों के निर्माण का कार्य तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उनके अनुवाद का कार्य भी कर सकता है।

2. आयोग का मुख्यालय दिल्ली या नई दिल्ली में रहेगा।

3. केंद्रीय हिंदी निदेशालय में पदस्थ कर्मचारी जो विज्ञान एवं तकनीकी विषयों की शब्दावली के निर्माण कार्य में संलग्न हैं उन्हें आवश्यकतानुसार आयोग के अधिकार में सौंपा जाएगा ताकि आयोग अपना कार्य संतोषजनक ढंग से संपादित कर सके।

ह0

(आर.पी. नायक)

संयुक्त सचिव